झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका सं० - 6369/2016

डॉ. सिद्धार्थ सान्याल ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

1. मुख्य सूचना आयुक्त, झारखंड राज्य, रांची।
2. झारखंड राज्य, प्रतिनिधी प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, रांची ।
3. जिला कोषागार अधिकारी, गिरिडीह।
4. श्री अनिल कुमार, न्यू बरगंडा, आश्रम रोड, नदी किनारे, गिरिडीह।

..... **प्रतिवादी**

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति डॉ. एस.एन.पाठक

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अभय प्रकाश, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री रोहित, ए.सी. टू ए.ए.जी.-1

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से : श्री संजय पिपरवाल, अधिवक्ता

श्री राकेश रंजन, अधिवक्ता

09/29.11.2023:- पक्षों की सुनवाई हुई।

2. याचिकाकर्ता ने मुख्य सूचना आयुक्त, झारखंड, रांची द्वारा पारित दिनांक 07.04.2016 के आदेश का विरोध किया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'आरटीआई अधिनियम, 2005') की धारा 20(1) के तहत 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह सिविल सर्जन, गिरिडीह के पद पर तैनात था और आवेदक/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी ऐसे आवेदन को उसके कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता के संज्ञान में नहीं लाया गया। उसके बाद, अपने स्थानांतरण के

बाद वह प्रभारी जिला आरसीएच अधिकारी, गिरिडीह के पद पर आसीन हो गया और तब से वह वहीं पर तैनात है। याचिकाकर्ता दिनांक 07.04.2016 के आदेश की प्राप्ति पर पूरी तरह से हैरान और आश्चर्यचकित था, जो उसे झारखंड सूचना आयोग द्वारा जारी ज्ञापन संख्या 10850 दिनांक 17.05.2016 के माध्यम से सूचित किया गया था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता पर आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत आवेदक/प्रतिवादी संख्या 4 को उसके द्वारा मांगी गई वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के लिए 25,000/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इस तरह के आदेश की प्राप्ति पर, याचिकाकर्ता को पता चला कि अपील वाद संख्या 1591/2015 के तहत झारखंड सूचना आयोग के समक्ष कार्यवाही की जा रही है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने तुरंत वर्तमान अपील मामले से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए सिविल सर्जन, गिरिडीह को दिनांक 13.06.2016 को एक पत्र भेजा। याचिकाकर्ता ने आगे 27.06.2016 को एक अनुस्मारक भेजा। सिविल सर्जन कार्यालय, गिरिडीह ने अपने पत्र दिनांक 16.07.2016 के माध्यम से प्राप्ति रजिस्टर की फोटोकॉपी उपलब्ध कराई, जिसमें उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन विश्वनाथ पाल, क्लर्क ने उक्त आवेदन प्राप्त किया था। जांच करने पर याचिकाकर्ता को पता चला कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा मांगी गई जानकारी श्री विश्वनाथ और अन्य की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है और उन्होंने जानबूझकर उक्त तथ्यों को दबा दिया है और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 4 के आवेदन के बारे में सूचित नहीं किया और उन्हें सभी तथ्यों के बारे में विवादित आदेश प्राप्त होने के बाद ही पता चला।

अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने के आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हुआ है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभय प्रकाश ने इस आधार पर विवादित आदेश की आलोचना की कि सूचना आयुक्त ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना ही 25,000/- रुपए का जुर्माना लगाया है। विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि जुर्माना लगाने से पहले प्रतिवादी संख्या 1 को कारण बताओ नोटिस जारी करना आवश्यक है, जो इस मामले में नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे

तर्क दिया कि उन्हें भी नहीं पता था कि कोई प्रथम अपील की गई थी या नहीं और नोटिस जारी किया गया था या नहीं और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित किया गया। बल्कि तथ्य यह है कि सूचना आयुक्त ने यह पता लगाए बिना कि प्रथम अपील की गई है या नहीं, सीधे द्वितीय अपील पर विचार किया और विवादित आदेश पारित कर दिया, जो कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 20(1) के प्रावधानों के अनुसार, यह अनिवार्य आवश्यकता है कि दंड लगाने से पहले अपराधी की बात सुनी जानी चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि इसी तरह का मुद्दा **सिविल रिट याचिका संख्या 4837/2019 (मो. जियाउल अंसारी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य)** में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया था और इस न्यायालय ने **दिनांक 26.04.2023** के आदेश के तहत उस मामले में दंड के आदेश को रद्द कर दिया और रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।

5. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संजय पिपरवाल ने श्री राकेश रंजन की सहायता से याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपील पंजीकृत की गई थी, हालांकि रिकॉर्ड से यह पुष्टि नहीं होती है कि पक्षों को कोई नोटिस जारी किया गया था और उनकी बात सुनी गई है। विद्वान वकील ने बहुत ही निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को सुने बिना ही विवादित आदेश पारित कर दिया गया था और इसलिए याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजा जाना चाहिए।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर इस न्यायालय का विचार है कि विवादित आदेश कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है। अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा-20(1) में उल्लिखित विशिष्ट प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जो इस प्रकार है:

> **20.** (1) जहां केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत या अपील पर निर्णय करते समय यह राय रखता है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना

अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ने बिना किसी उचित कारण के सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से इनकार कर दिया है या धारा 7 की उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना प्रदान नहीं की है या दुर्भावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या अनुरोध का विषय थी सूचना को नष्ट कर दिया है या सूचना प्रदान करने में किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न की है, तो वह आवेदन प्राप्त होने या सूचना प्रदान किए जाने तक प्रतिदिन दो सौ पचास रुपये का जुर्माना लगाएगा, हालांकि, ऐसे जुर्माने की कुल राशि पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को उस पर कोई जुर्माना लगाए जाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा:

बशर्ते कि यह साबित करने का भार कि उसने यथोचित और परिश्रमपूर्वक कार्य किया है, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा, जैसा भी मामला हो।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मनोहर, पिता - माणिकराव एंचुले बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2012) 13 एससीसी 14** में रिपोर्ट किए गए मामले में निम्नानुसार निर्णय दिया है:

"22. हम देख सकते हैं कि धारा 20(1) के प्रावधान में विशेष रूप से यह विचार किया गया है कि धारा 20(1) के तहत दंड लगाने से पहले आयोग संबंधित अधिकारी को सुनवाई का उचित अवसर देगा। हालांकि, धारा 20(2) के तहत आने वाले मामलों के संबंध में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। धारा 20(2) केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को, जैसा भी मामला हो, उस धारा में बताए गए कारणों से किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेने के समय, संबंधित सेवा नियमों के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश करने का अधिकार देता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग दंडात्मक परिणाम लगा सकता है। जब ऐसी सिफारिश प्राप्त होती है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी कानून के अनुसार और कानून की आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा। यह एक 'सिफारिश' है, न कि जांच करने का 'अधिदेश'। 'सिफारिश' को 'निर्देश' या 'अधिदेश' के विपरीत देखा जाना चाहिए। लेकिन सिफारिश ही दोषी लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को गंभीर प्रकृति के परिणाम देती है और अंततः

संबंधित सेवा नियमों के भीतर कदाचार सहित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न कर सकती है और मामूली और/या बड़ी सजा दे सकती है।

23. इस प्रकार, धारा 20(2) के प्रावधानों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ा जाना चाहिए। यह सेवा न्यायशास्त्र सहित नागरिक न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश देना सिफारिश के रूप में एक आदेश है जिसके दूरगामी नागरिक परिणाम हैं। यह विचार करना अनुमेय नहीं होगा कि धारा 20(2) के तहत किसी सिफारिश को पारित करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन एक शर्त नहीं है।

8. कानून का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि विधि के अंतर्गत प्रावधान न भी किया गया हो, तो भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ऐसा ही करेगा, जब तक कि विशिष्ट कानून द्वारा इसे बाहर न रखा गया हो। यह तब और भी अधिक होता है जब अधिकार के प्रयोग से व्यक्ति को नागरिक प्रकृति के परिणाम भुगतने की संभावना होती है। इसी तरह का मुद्दा **हर्ष मंगला बनाम झारखंड राज्य सूचना आयोग, रांची एवं अन्य** के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया, जिसकी रिपोर्ट **2021 (2) जेएलजेआर 300 (एचसी)** में दी गई, जिसमें इस न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद उस मामले के याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित दंड के आदेश को रद्द करने वाली रिट याचिका को अनुमति दी।

9. उपरोक्त टिप्पणियों, नियमों, दिशा-निर्देशों, कानूनी प्रस्तावों और न्यायिक घोषणा के अनुक्रम में, दिनांक 07.04.2016 का विवादित आदेश कानून की दृष्टि में मान्य नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. एस.एन.पाठक)

कुणाल/-

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।